



भारत स्काउट एवं गाइड, मध्यप्रदेश, राज्य मुख्यालय,

शांति मार्ग, श्यामला हिल्स, भोपाल – 17

Phone □□: 2661263, 2737446 Fax: 2661263 Website: bsgmp.net E-mail: scoutguide_bpl@dataone.in

क्र०/2396/रा०मु०/गति./2014

भोपाल, दिनांक 6-6-14

प्रति,

जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आ.वि.

पदेन

जिला कमिशनर स्काउट

जिला.....म.प्र.

विषय:- दल गठन अभियान – 2014

सन्दर्भ :- राज्य के वार्षिक कार्यक्रम 2014–15 के अनुक्रम में।

—000—

विषयांतर्गत लेख है कि शासन की मंशा अनुसार प्रदेश के सभी विद्यालयों में कब-बुलबुल, स्काउट-गाइड एवं रोवर-रेंजर दलों का गठन किया जाना है। जिसकी विस्तृत तिथिवार कार्ययोजना एवं निर्देश संलग्न कर भेजी जा रही है। सभी जिलों में आपके नेतृत्व में ब्लाक स्तर तक दल गठन अभियान संचालित किया जाना है। इस संबंध में आयुक्त लोक शिक्षण एवं आयुक्त, आदिवासी विभाग द्वारा जारी शैक्षणिक कलेण्डर में भी जुलाई माह में ही लक्ष्य सौंपा गया है। दल गठन अभियान के संबंध में निर्देश के साथ-साथ प्रपत्र भी संलग्न किये जा रहे हैं जो निम्नानुसार हैः—

1. दल गठन अभियान प्रभावी ढंग से हो एवं नवीन दलों का गठन हो इसके लिये आपके पास अपंजीकृत शासकीय/अशासकीय हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालयों को चिन्हित कर सूचीबद्ध करने का कार्य 10 जुलाई के पूर्व तक कर लिया जायें। (संलग्न : प्रपत्र क्र-01 के अनुसार)
2. अपंजीकृत शासकीय/अशासकीय विद्यालयों को स्काउट-गाइड दल संचालन हेतु पंजीकृत कराने हेतु संबंधित प्राचार्यों को आपकी ओर से लिखित में निर्देश 10 जुलाई 2014 तक जारी किये जावें, ताकि वह विद्यालय में दल गठन में रुचि ले सकें।
3. अपंजीकृत शासकीय/अशासकीय विद्यालयों में दल गठन हेतु डी.ओ.सी./डी.टी.सी. (स्काउट/गाइड) जिला सचिव, कोषाध्यक्ष के साथ विकासखंड पदाधिकारियों, स्काउटर-गाइडर पंजीकृत कराने हेतु सुनिश्चित कर अधिकतम 01 स्काउटर-गाइडर को पाँच विद्यालय पंजीकृत कराने हेतु लक्ष्य सौंपकर दिनांक 20 जुलाई 2014 के पूर्व निर्धारण करने हुए लिखित आदेश भी जारी किया जावें। (संलग्न : प्रपत्र क्र-02 के अनुसार)
4. दल गठन अभियान हेतु उपस्थित होने वाले गठन प्रभारी के जाने की सूचना पूर्व से ही संबंधित प्राचार्य/संस्था प्रमुख को दे दी जावें ताकि वे भी संस्था में उपस्थित रहें। दल गठन अभियान के प्रभारी विद्यालयों में दल गठन हेतु पहुँचने पर अपने साथ दल पंजीकरण प्रपत्र अवश्य साथ ले जावें। पंजीकरण प्रपत्र के साथ तीन प्रतियों में दल के सदस्य छात्र/छात्राओं के सूची

साथ ही संस्था से एक स्काउटर-गाइडर हेतु शिक्षक/शिक्षिका के नाम भी लिखित सहमति के साथ प्राप्त करे, ताकि उक्त शिक्षक को प्रशिक्षित करने के पश्चात दल संचालन प्रारंभ किया जा सकें। दल संचालन में सहयोग हेतु संस्था प्राचार्य की भी लिखित में सहमति प्राप्त की जावें, यह कार्य दिनांक 30 जुलाई के पूर्व किया जाना है। (संलग्न: दल गठन हेतु प्रपत्र)

5. दल गठन पंजीकरण कार्य की पूर्ति एवं तीन प्रतियों में दल के छात्र/छात्राओं की सूची के साथ 01 दल की पंजीयन राशि, 32 स्काउट-गाइड हेतु 30=00 रु. + कोटामनी राशि 32X10=320=00 रु एवं प्रति यूनिट लीडर शुल्क 15=00 रु इस प्रकार कुल राशि 365=00 रु. + विधालय में दर्ज छात्र संख्या के आधार पर प्राप्त स्काउट शुल्क का **05%** ड्राफ्ट कुल राशि..... जिला कमिशनर स्काउट, जिला..... के नाम से तैयार कराया जावें। इसके लिए 32 छात्र/छात्रा के पंजीयन हेतु निर्धारित राशि का विस्तृत विवरण संलग्न है।
6. प्रतिदिन दल गठन पंजीकरण फार्म, सूची मय राशि के ड्राफ्ट सहित जिला कमिशनर स्काउट कार्यालय में जमा की जावें एवं दल गठन अभियान के समाप्ति पश्चात निर्धारित तिथि में राज्य मुख्यालय भोपाल को सम्पूर्ण प्रतिवेदन भेजें। संलग्न प्रपत्र ए.एस.ओ.सी. के माध्यम से प्रेषित करें।
7. स्काउट-गाइड दल गठन अभियान की समीक्षा जिला स्तर पर आपके द्वारा प्रत्येक सप्ताह की टी.एल. बैठक में अनिवार्य रूप से की जावें एवं प्रगति की जानकारी ली जावें।

अतः दल गठन अभियान की विस्तृत कार्ययोजना एवं आवश्यक प्रपत्र के प्रारूप संलग्न कर प्रेषित है। कृपया दल गठन अभियान संचालित कर प्रगति प्रतिवेदन से समय-समय पर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।


संलग्न :—
1. कार्ययोजना
2. प्रपत्रों के प्रारूप—3

पृ0क्र0/8397/राम००/गति./2014


राज्य सचिव 31/6/14
भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र.
भोपाल, दिनांक 6-6-14

प्रतिलिपि:— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


- आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. गौतम नगर भोपाल।
- आयुक्त, आदिवासी विकास म.प्र., सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- समस्त कलेक्टर, जिला.....।
- समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला.....।
- समस्त संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग.....।
- समस्त उपायुक्त, आदिवासी विकास संभागीय कार्यालय.....।
- समस्त सहायक राज्य संगठन आयुक्त (स्का.गा.) संभागीय कार्यालय.....।
- समस्त जिला मुख्य आयुक्त/जिला कमिशनर-गाइड जिला.....।
- समस्त जिला सचिव/जिला संगठक (स्का.गा.) जिला संघ.....।



राज्य सचिव 2/6/14
भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र.

दल गठन अभियान की कार्ययोजना सत्र 2014.15

क्रम	अवधि	कार्य योजना	उत्तरदायित्व	मार्गदर्शन	मानिटरिंग
1	10–15 जुलाई 14 तक आदेश जारी करना	संयुक्त संचालक लोक शिक्षण एवं संभागीय उपायुक्त की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त आदिवासी विकास व जिला संयोजक को दल गठन एवं नवीनीकरण संबंधी परिपत्र जिलों को जारी करना	ए०ए०स०ओ०सी० (स्का० / गा०)	संयुक्त संचालक / संभा. उपायुक्त आदि.विकास	एस०ओ०सी० (स्का० / गा०)
2	16–20 जुलाई 2014 तक जिला स्तर पर समस्त तैयारियाँ पूर्ण करना	संभाग के सभी जिला शिक्षा अधिकारी एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास की बैठक संयुक्त संचालक एवं संभागीय उपायुक्त की अध्यक्षता में करना एवं दल गठन अभियान के विषय में सम्पूर्ण कार्य योजना पर चर्चा करना एवं जानकारी देना।	ए०ए०स०ओ०सी० (स्का० / गा०)	संयुक्त संचालक / संभा. उपायुक्त आदि.विकास	एस०ओ०सी० (स्का० / गा०)
3	20–30 जुलाई 2014 तक दल गठन का सम्पूर्ण कार्य पूर्ण करना	1—जिला संघ कार्यकारिणी सदस्यों के साथ बैठक कर दल गठन की जानकारी देना। योजना तैयार करना तथा जिन शालाओं में दल गठित नहीं है उनमें दल गठन हेतु ड्यूटी लगाना। 2— जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से सभी विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रमुखों को दल गठन एवं नवीनीकरण संबंधी निर्देश जारी करना (विद्यालयों को चिन्हित करके) 3— 5 शास०+5 अशास० कुल 10 अपंजीकृत विद्यालयों से सम्पर्क हेतु नामवार दल गठित करना एवं पंजीकृत करना (विद्यालयों को चिन्हित करके) 4— दल गठन के लिये जाने हेतु तिथि निर्धारित कर सूचना प्राचार्य को देना 5— दल गठन की कार्यवाही पूर्ण करना।	डी०ओ०सी० (स्का० / गा०) डी०टी०सी० (स्का० / गा०) जिला सचिव	जि०म०आयुक्त जि०शि०अ०/ स०आ०आदि० विकास जिला कमिनशर गाइड	ए०ए०स०ओ०सी० (स्का० / गा०)
4	5–10 अगस्त 2014 तक दल गठन की समीक्षा एवं जानकारी भेजना	1— शास०/अशास० हाईस्कूल/उमा०वि० के संस्था प्रमुखों की बैठक का आयोजन जिला शिक्षा अधिकारी/जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में करना एवं दल गठन की रिपोर्ट प्राप्त करना व समीक्षा करना।	डी०ओ०सी० स्का० / गा०	जि०शि०अ०/ स०आ०आदि० विकास	ए०ए०स०ओ०सी० (स्का० / गा०)

क्रम	अवधि	कार्य योजना	उत्तरदायित्व	मार्गदर्शन	मानीटरिंग
		2— क्रमांक 1 से 6 तक की कार्ययोजना के चरण की विस्तृत समीक्षा जिला संघ की बैठक में करना 3— समस्त जानकारी संकलित कर ए0एस0ओ0सी0 को भेजना ।			
5	10—14 अगस्त 3014 तक जानकारी का प्रेषण	सम्पूर्ण जानकारी निर्धारित प्रपत्र सहित राज्य मुख्यालय भेजना	ए0एस0ओ0सी0 (स्का0 / गा0)	संयुक्त संचालक / संभा. उपायुक्त आदि.विकास	एस0ओ0सी0 (स्का0 / गा0)
6	20—30 अगस्त 14 तक मानीटरिंग	1— विकास खण्डवार दल गठन की समीक्षा विकास खण्ड स्तर पर जाकर ।	डी0ओ0सी0 (स्का0 / गा0) डी0टी0सी0 (स्का0 / गा0) जिला सचिव	जिंशि0ओ0 / स0आ0आदि0 विकास	ए0एस0ओ0सी0 (स्का0 / गा0)
7	20—30 अगस्त 14 तक मानीटरिंग	ए0एस0ओ0सी0+डी0ओ0सी0 द्वारा दल गठन की समीक्षा जिला स्तर पर	ए0एस0ओ0सी0 (स्का0 / गा0)	संयुक्त संचालक / संभा. उपायुक्त आदि.विकास	एस0ओ0सी0 (स्का0 / गा0)
8	2—5 सितम्बर 2014 के मध्य राज्य स्तर पर समीक्षा	राज्य मुख्यालय स्तर पर दल गठन की समीक्षा	एस0ओ0सी0 (स्का0 / गा0)	राज्य सचिव	


राज्य सचिव

भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश


दल गठन अभियान हेतु गठित दल का विवरण प्रपत्र

प्रपत्र क्रमांक – 01

—: विकासखंड वार :-

विकासखंड का नाम जिला.....

क्र.	जिला स्तर पर मानीटरिंग करने वाले प्रभारी का नाम	विकासखंड स्तर पर प्रभारी का नाम	दिनांक	शाला का नाम	नाम	पद	पदस्थ स्थान	मोबाइल नंबर	स्काउटिंग योग्यता

निर्देश :-

- दल गठन हेतु सक्रिय स्काउटर-गाइडर की सेवायें ली जावें।
- जिला स्तर पर प्रभारी, जिला संघ के जिला सचिव / डी.ओ.सी. (स्का.गा.) / डी.टी.सी. (स्का.गा.) एवं जिमोदार पदाधिकारियों को दाखिल दिया जावें।
- विकास खंड स्तर पर प्रभारी विकासखंड शिक्षा अधिकारी एवं किसी सक्रीय प्राचार्य को दाखिल सौंपा जावें।

दल गठन अभियान के अंतर्गत गठित दलों का जिलेवार प्रतिवेदन (राज्य मुख्यालय भोपाल भेजने हेतु)

प्रपत्र क्रमांक – 02

क्र. दल/विधालय का नाम	आपंजीकृत गठित शासा/अशासा	विकाससंघ का नाम	स्काउटर-गाइडर का नाम, पता एवं मोबाइल न.	संस्था प्रमुख का नाम एवं मोबा.न.	स्कॉलो छात्र संख्या	झाप्ट क्र. दिनांक, राशि का विवरण	पंजीयन प्रपत्र
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

दल गठन अभियान के अंतर्गत गठित दलों का विवरण प्रपत्र

प्रपत्र क्रमांक – 03

जिला स्तरीय अधिकारी का नाम :

विकासखंड का नाम :

जिला :

क्र. गठित किये गये	अपंजीकृत विधानसभा का नाम जहाँ दल गठित किये गये	स्काउटर-गाइडर का नाम, पता एवं मोबाइल नम्बर		संस्था प्रमुख का नाम एवं मोबाइल नं.	पंजीयन फार्म, छात्र / छात्राओं की सूची एवं झापट का विवरण
		नाम	पता		
1					
2					
3					
4					
5					
6					